



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19082026-275587  
CG-DL-E-19082026-275587

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4403]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 19, 2026/श्रावण 28, 1948

No. 4403]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 19, 2026/SHRAVAN 28, 1948

गृह मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2026

का.आ. 4583(अ).— केन्द्रीय सरकार, नागरिकता नियम, 2009 के नियम 11क के उपनियम (1) और उपनियम (3) के साथ पठित नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की धारा 6ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात्:-

(क) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में संख्या का.आ. 1231 (अ), तारीख 11 मार्च, 2024 को प्रकाशित भारत सरकार के गृह मंत्रालय का आदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम (जनजातीय क्षेत्र को छोड़कर), त्रिपुरा (जनजातीय क्षेत्र को छोड़कर) राज्यों तथा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रों पर लागू नहीं होगा;

(ख) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में संख्या का.आ. 941(अ), तारीख 20 फरवरी, 2026 और संख्या का.आ. 1110 (अ), तारीख 2 मार्च, 2026 के अधीन प्रकाशित उन बातों के सिवाय, जिन्हें ऐसे विखंडन से पूर्व किया गया हो या करने का लोप किया गया हो, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आदेशों को निरस्त कर दिया जाएगा;

(ग) नागरिकता अधिनियम, 1955 के खंड 6ख के अधीन गुजरात, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा राज्यों तथा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रों की सशक्त समिति और ज़िला स्तरीय समिति के पास लंबित सभी आवेदन संबंधित कलेक्टर को स्थानांतरित कर दिए जाएंगे।

2. यह आदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

[फा. सं. 26030/22/2026-सीएए]

डॉ. संदीप एन. महात्मे, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

### ORDER

New Delhi, the 19th August, 2026

**S.O. 4583(E)** .— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6B of the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955) read with sub-rules (1) and (3) of rule 11A of the Citizenship Rules, 2009, the Central Government hereby specifies the following, namely:-

- (a) the Order of the Government of India in the Ministry of Home Affairs published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1231 (E), dated the 11<sup>th</sup> March, 2024 shall not apply to the States of Gujarat, Rajasthan, Punjab, West Bengal, Assam (except tribal area), Tripura (except tribal area), Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh;
  - (b) the Orders of the Government of India in the Ministry of Home Affairs published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide numbers S.O. 941(E), dated the 20<sup>th</sup> February, 2026 and S.O. 1110 (E), dated the 02<sup>nd</sup> March, 2026 shall be rescinded, except as respects thing done or omitted to be done before such rescission;
  - (c) all the applications under section 6B of the Citizenship Act, 1955 pending with the Empowered Committee and District level Committee of the States of Gujarat, Rajasthan, Punjab, West Bengal, Assam, Tripura, Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh shall be transferred to the Collector concerned.
2. This Order shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 26030/22/2026-CAA]

DR. SANDEEP N. MAHATME, Jt. Secy.